

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत - न्याय आपके द्वारा कैम्प ओकातिया बैरा
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
मुकदमा नंबर 664/2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
तहसीलदार, पचपदरा		1. टीकमाराम, फौजाराम पुत्र जोराराम जाति दर्जी वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक :- 20.06.2018


पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ओकातिया बैरा पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम ओकातिया बैरा मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रंवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा ओकातिया बैरा के खसरा न0 710/170, 709/170, 174, 732/711, 714/200, 210, 206, 211, 217, 804/224 रकबा क्रमशः 1.00, 1.00, 1.12, 1.10, 0.11, 1.02, 1.06, 0.05, 1.16, 0.10, 0.01, बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ डामर सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज किया गया विप्रार्थीगण उपस्थित। जिसने कोई आपति पेश नहीं की।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा ओकातिया बैरा ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी', बिन्दु तक खसरा न0 710/170, 709/170, 174, 732/711, 714/200, 210, 206, 211, 217, 804/224 रकबा क्रमशः 1.00, 1.00, 1.12, 1.10, 0.11, 1.02, 1.06, 0.05, 1.16, 0.10, 0.01, बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर



कोई ऐतराज नहीं किया है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमावन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा ओकातिया बैरा में अवस्थित खसरा न0 710/170, 709/170, 174, 732/711, 714/200, 210, 206, 211, 217, 804/224 रकबा क्रमशः 1.00, 1.00, 1.12, 1.10, 0.11, 1.02, 1.06, 0.05, 1.16, 0.10, 0.01, बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश दिनांक 20.06.2018 को सुनाया गया।



(भागीरथ कुमार)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(ए.डी.ओ.) बालोतरा